रॉयल्टी की दर आठ रुपये प्रति क्विंटल की

देहरादून। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली-2023 में संशोधन करते हुए पूर्व में खनिज पर निर्धारित रॉयल्टी की दर को सात रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। इससे भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का राजस्व प्रतिवर्ष 50 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेघा बताते हैं कि गौला, कोसी और दाबका नदी में पहले से ही आठ रुपये प्रति क्विंटल है। अब अन्य जगहों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इससे एक अनुमान से करीब 50 करोड़ तक और राजस्व मिल सकेगा। क्योंकि पहले से कुछ जगहों पर आठ रुपये प्रति कुंतल की व्यवस्था है, इससे खनिजों के दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। ब्यूरो